निर्णय बईजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0: 66 / प्रा0पत्र / 18

डीवान हॉउसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट,1956) पंजीकृत कार्यालय–वार्डन हॉउस , द्वितीय तल,सर पी0एम0रोड़ किला मम्बई– 400001 तथा शाखा कार्यालय 302 / 5,तृतीस तल जयपुर टावर,एमआईरोड़ जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव .... प्रार्थी कम्पनी

बनाम

01. श्रीमति मुमताज खानम, निवासी–47,डांगी मोहल्ला, ग्राम ढाबला खींची, तहसील पिड़ावा

एवं

वार्ड न0 23 में स्थित सम्पत्ति, आराजी ख0न0 850 का हिस्सा, नव सर्किल के सामने, खेड़ा रोड़, राम नगर भवानीमण्डी (ऋणी / बंधककर्ता)

02. शब्बीर हुसेन, निवासी–47,डांगी मोहल्ला, ग्राम ढाबला खींची, तहसील पिड़ावा

एवं

वार्ड न0 23 में स्थित सम्पत्ति, आराजी ख0न0 850 का हिस्सा, नव सर्किल के सामने, खेड़ा रोड़, राम नगर भवानीमण्डी (सहऋणी)

03. शंभूलाल मीणा, निवासी ग्राम मण्डाल्या हेदी,पोस्ट कंवास,तहसील सांगोद जिला कोटा

एवं

एफसी आफ इण्डिया, डिस्टिक आफिस कोट (जमानती) ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

–: निर्णय :– दिनांकः 25.07.2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी कम्पनी,कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 प्रावधानों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। प्रार्थी कम्पनी से अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.02.2010 को 9,99,518 / –रू. का ऋण लिया गया था, अप्रार्थी संख्या 1 ने ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति वार्ड न0 23 में स्थित सम्पत्ति, आराजी ख0न0 850 का हिस्सा, नव सर्किल के सामने, खेड़ा रोड़, राम नगर भवानीमण्डी जिला झालावाड़ को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नही करने पर दिनांक 01.05.2016 को डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया । अप्रार्थी के खाते में दिनांक 29.01.2018 तक शेष व देय बकाया 11,89,154 / –रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख नवासी हजार एक सौ चव्वने मात्र) वसूली योग्य होने व उसका भुगतान नही करने पर प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये गये तथा दो मुख्य अखबारों के माध्यम से भी प्रकाशित करवाये गये उसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा भुगतान नही किया गया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थी द्वारा बैंक के पास रहनशुदा सम्पत्ति को का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सिक्योरिटी के पेटे वार्ड न0 23 में स्थित सम्पत्ति, आराजी ख0न0 850 का हिस्सा, नव

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

सर्किल के सामने, खेड़ा रोड़, राम नगर भवानीमण्डी जिला झालावाड़ का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी को दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नही है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। ऋणदाता कम्पनी को अप्रार्थी द्वारा ऋण का भुगतान नही करने पर दिनांक 01.05.2016 व्यक्तिकम डिफाल्ट होने पर एन. पी.ए. घोषित किया गया है, अप्रार्थी के विरूद्ध 29.01.2018 तक शेष व देय बकाया 11,89,154/--रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख नवासी हजार एक सौ चव्वने मात्र) निकलते थे उक्त राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है । अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नही किये जाने, तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थी द्वारा नही किये जाने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहतं जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पति को बेंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है– बैंक/प्रार्थी कम्पनी द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति वार्ड न0 23 में स्थित सम्पत्ति, आराजी ख0न0 850 का हिस्सा, नव सर्किल के सामने, खेड़ा रोड़, राम नगर भवानीमण्डी जिला झालावाड़ जिसकी सीमांए निम्न प्रकार हैः– पूर्व-- दुकान विकेता व रास्ता नाव सर्किल से खेडा को, पश्चिम– गली सेनीटेशन,उत्तर– मकान नरसिंह कहार, दक्षिण– मकान लक्ष्मीनारायण कुम्हार, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक,झालावाड से सम्पर्क कर ऋणी की कम्पनी में गिरवीकृत सम्पति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी कम्पनी व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड